म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

समाचार

विद्युत दुर्घटना में मृत/घायल ठेका श्रमिकों के परिजनों को मिलेगी बाहरी व्यक्तियों के समान सहायता राशि

जबलपुर, 18 जुलाई 2018,

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि कंपनी के क्षेत्रांतर्गत ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों के घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना में मृत हो जाने अथवा शारीरिक अंगहानि का शिकार हो जाने की स्थिति में संबंधित को अथवा उसके परिजनों को बाहरी व्यक्तियों के समान आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी । यह निर्णय 21 फरवरी 2018 से प्रभावशील माना जावेगा ।

इसके पूर्व कंपनी क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के विद्युत दुर्घटना में मृत अथवा घायल हो जाने पर नियमानुसार उनके परिजनों को आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान रहा है । लेकिन अब कंपनी में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के विद्युत दुर्घटना की चपेट में आ जाने पर उन्हें अथवा उनके परिजनों को भी आर्थिक सहायक राशि प्रदान की जा सकेगी ।

कंपनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्युत दुर्घटना में मृत हुए ठेका श्रमिक के परिवार अथवा उसके निकटतम वारिस को रू. 04 लाख की सहायता राशि प्रदान की जावेगी । शारीरिक अंगहानि के लिए 40 से 60 प्रतिशत तक विकलांगता की स्थिति में रू. 59,100/—तथा 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता की स्थिति में रू. 02 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी । कंपनी क्षेत्र में विद्युत दुर्घटना में मृत अथवा घायल हुए बाहरी व्यक्तियों अथवा परिजनों को भी उक्तानुसार ही सहायता राशि का प्रावधान है ।

कैसे मिलेगी सहायता राशि — विद्युत दुर्घटना की सूचना पर कंपनी के अधिकारी द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट/एफआईआर अथवा अन्य आवश्यक सबूतों के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की जावेगी । मृत हुए ठेका श्रमिक के परिजनों को कंपनी की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि उस परिवार को प्राप्त होने वाली बीमा अथवा अन्य सहायता राशि के अतिरिक्त होगी ।

इन परिस्थितियों में पात्रता नहीं होगी — विद्युत संयंत्र अथवा बिजली लाइनों से छेडछाड अथवा बिजली चोरी के प्रयास में घटित दुर्घटना , मीटर के बाद परिसर की आंतरिक बिजली लाईन से घटित दुर्घटना, सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोक वाहन या उस पर अव्यवस्थित व्यक्ति/वस्तु के बिजली लाइन के संपर्क आने पर घटित दुर्घटना की स्थिति में संबंधितों को सहायता राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

समाचार क्रमांक : 71

(के.पी.श्रीवास्तव)
जनसंपर्क अधिकारी